

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर, महाराजगंज, अम्बेडकरनगर, अयोध्या, सोनभद्र, कौशाम्बी, मऊ, बांदा,
प्रयागराज, सुल्तानपुर एवं सिद्धार्थनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: ०२-जुलाई, 2020

विषय:- नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु
धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के शासनादेश सं०-204/एक-11-2020-रा०-11, दिनांक 28.03.2020, एवं शासनादेश सं०-205/एक-11-2020-4(जी)/2015, दिनांक 29.03.2020 तथा इस सम्बन्ध में निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु जनपदों में संचालित हो रहे अस्थायी आश्रय स्थलों, क्वारन्टाइन सेंटर, कम्युनिटी किचेन व अन्य स्थानों पर भी पात्र व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार भोजन सामग्री/भोजन/फूड पैकेट का वितरण कराने व अन्य कार्यों हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में **रु० 25,50,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि अग्रिम रूप से निम्न जनपदों के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्रमांक	जनपद का नाम	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	वर्तमान में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	गाजीपुर	350.00	100.00	450.00
2	महाराजगंज	200.00	350.00	550.00
3	अम्बेडकरनगर	450.00	25.00	475.00
4	अयोध्या	300.00	200.00	500.00
5	सोनभद्र	275.00	25.00	300.00
6	कौशाम्बी	200.00	100.00	300.00
7	मऊ	200.00	200.00	400.00
8	बांदा	200.00	100.00	300.00
9	प्रयागराज	500.00	300.00	800.00
10	सुल्तानपुर	350.00	150.00	500.00
11	सिद्धार्थनगर	550.00	1000.00	1550.00
योग		3575.00	2550.00	6125.00
(रुपये पच्चीस करोड़ पचास लाख मात्र)				

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता के वितरण में भारत सरकार के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(3) जिलाधिकारी द्वारा वितरित कराये जाने वाले खाद्यान्न किटों/भोजन/फूड पैकेट का अपने अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन करा लिया जायेगा तथा सत्यापन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाये।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 335(1)/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-3, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 6- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 9- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 10-अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गो.
सचिव।)

Allotment Grid Report

वितीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-02/07/2020

प्रेषण संख्या:- 335

आवंटन आदेश संख्या:- 093-33

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वितीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 -

09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 171000000	30000000 171000000
2	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 49000000	10000000 49000000
3	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 76000000	10000000 76000000
4	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 81500000	20000000 81500000
5	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 78500000	15000000 78500000
6	मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 71000000	20000000 71000000
7	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000000 209000000	100000000 209000000
8	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 73000000	2500000 73000000
9	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	35000000 82000000	35000000 82000000
10	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 107000000	2500000 107000000
11	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 66000000	10000000 66000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	255000000 1064000000	255000000 1064000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पच्चीस करोड़ पचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब छः करोड़ चालीस लाख

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन